

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-06.08.2026 को अपराह्न 04.00 बजे VC के माध्यम से अपर समाहर्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्ताओं/अंचलाधिकारियों की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-06.08.2026 को राज्यस्तरीय अपर समाहर्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्ताओं/अंचलाधिकारियों की बैठक का आयोजन VC के माध्यम से किया गया। जिसमें विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।

2. सर्वप्रथम सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए विगत समीक्षात्मक बैठक के बाद अबतक कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी :-

(1.) **Mutation Defect** - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Mutation Defect check में अंचलों द्वारा काफी समय लगाया जा रहा है, कतिपय ऐसे भी अंचल हैं, जहाँ दो माह से अधिक का समय Mutation Defect check में लगाया जा रहा है, जबकि विभाग का निर्देश है कि 03-05 दिनों में Mutation Defect check के कार्य को पूरा करना है। Mutation Defect check के सबसे अधिक लंबित मामलों 05 जिलों यथा-पूर्वी चम्पारण, अररिया, जहानाबाद, बक्सर एवं लखीसराय जिलों में पाये गये हैं, जबकि गयाजी, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर एवं मधुबनी में काफी कम है।

इसी प्रकार ऑनलाइन दाखिल-खारिज में वर्ष 2026-27 में पूर्वी चम्पारण, अररिया, भोजपुर, लखीसराय एवं सिवान द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया है, जबकि गयाजी, जमुई, बेगूसराय, कटिहार एवं बांका का निष्पादन प्रतिशत काफी कम रहा है। इसे शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता है।

(2.) **Digitized Jamabandi** - 2026-27 में निष्पादन प्रतिशत के मामलों में Top 05 में औरंगाबाद, सुपौल, रोहतास, जहानाबाद एवं लखीसराय जिलों है, जबकि Bottom 5 में अररिया, पूर्वी चम्पारण, जमुई, नवादा एवं भोजपुर जिलों को स्थान मिला है।

(3.) **Parimarian Plus (Left out Jamabandi)** - 2026-27 में निष्पादन के प्रतिशत के मामलों में Top 05 में लखीसराय, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों है, जबकि Bottom 5 में शिवहर, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, पूर्णिया एवं शेखपुरा जिलों को स्थान मिला है।

अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि सभी अंचलाधिकारियों से Left out Jamabandi का कार्य 07 दिनों में पूर्ण कराये।

(4.) **E-Mapi-** Top 05 में सिवान, कैमूर, पूर्वी चम्पारण, सुपौल एवं बक्सर जिलें हैं, जबकि Bottom 5 में वैशाली, खगड़िया, किशनगंज, सीतामढ़ी एवं मधेपुरा जिलों को स्थान मिला हैं।

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बताया गया कि प्रतिदिन ई-मापी से संबंधित प्राप्त आवेदनों का 150 प्रतिशत निष्पादित करने पर बैकलॉग समाप्त किया जा सकता है।

(5.) **Abhivan Basera-2-** अभियान बसेरा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के तहत 15 अगस्त 2026 को 30000 (तीस हजार) भूमिहीन परिवारों को पच्चा वितरण किया जाना है। बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अगर अभिलेख बन गया है तो उसे यथाशीघ्र अपलोड कराया जाय।

(6.) **Rajasw Maha Abhivan-** Top 05 में शेखपुरा, मधेपुरा, कैमूर, सिवान एवं नालंदा जिलें हैं, जबकि Bottom 5 में दरभंगा, सहरसा, भोजपुर, शिवहर एवं बांका जिलों को स्थान मिला हैं।

जिन अंचलों में राजस्व अभियान से संबंधित आवेदनों का 50 प्रतिशत से ज्यादा निष्पादन किया गया है, उन अंचलों को अपर समाहर्ता द्वारा रैंडम जाँच करते हुए प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा।

(7.) **Public Grievance-** दिनांक-11.08.2026 को राज्य स्तर पर "सहयोग शिविर" का आयोजन किया जाना है। बैठक में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि सहयोग शिविर से संबंधित आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करते हुए राज्य स्तर पर भी निष्पादित होने वाले आवेदनों को मुख्यालय स्तर से निष्पादित की जाय।

(8.) **RCMS -** RCMS से संबंधित कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जाय। इसकी सुनवाई Virtual माध्यम से करना है, VC Schedule से करते हुए इसकी सभी कार्यवाही को Record करना अनिवार्य है। साथ ही Net Connection को सुचारु रखने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाय ताकि ऑनलाइन के माध्यम से सुनवाई के क्रम में व्यवधान उत्पन्न न हो।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 17 जिलों में RCMS का निष्पादन प्रतिशत शून्य हैं। सभी संबंधित अपर समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि अपने-अपने जिलों के

अंचलों का जाँच करे कि किसी अंचलाधिकारी द्वारा ऑफलाइन कार्य किया जा रहा है, यदि जाँच में पाया जाता है कि कोई अंचलाधिकारी ऑफलाइन कार्य कर रहे हैं तो उन पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

बैठक के अन्त में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए निदेश दिया गया कि डिफेक्ट चेक की प्रक्रिया में तेजी लायी जाय तथा RCMS के अन्तर्गत सभी वादों का निष्पादन First In First Out (FIFO) सिद्धांत के आधार पर सुनिश्चित किया जाय। जिन जिलों में DCLR स्तर पर मामलें अंतिम निष्पादन के स्थिति में लंबित है, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर निष्पादित कर संबंधित वादों का समापन किया जाय।

माननीय मंत्री द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को पुनः स्पष्ट रूप से बताया गया कि आज की तिथि से ऑनलाइन सेवाओं के लंबित मामलों के निष्पादन की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा पुनः 15 दिनों के पश्चात् 20 अगस्त 2026 को की जायेगी, जिसमें समीक्षोपरांत जिलों के प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)

सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक-10/सम0/(भूमि सुधार उप समाहर्ता)-09/2026.....1147 (10)/रा0, दिनांक-21/8/26

E-mail

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(देवेश कुमार)

उप सचिव।

ज्ञापांक-10/सम0/(भूमि सुधार उप समाहर्ता)-09/2026.....1147 (10)/रा0, दिनांक-21/8/26

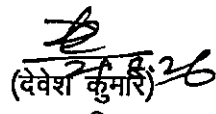
प्रतिलिपि-निदेशक, तीनों निदेशालय/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/श्री अनुपम प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(देवेश कुमार)

उप सचिव।

ज्ञापक-10/सम0/(भूमि सुधार उप समाहर्ता)-09/2026.....1147 (10)/रा0, दिनांक-.....21/8/26

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(देवेश कुमार)
उप सचिव।